कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें

चाँदनी चौक कलेक्ट्रोरेट रोड़ जगदलपुर जिला–बस्तर (छ0ग0)
फोन नम्बर 07782–222405 फैक्स नं. 221120

क्रमांक /3407 /स्था0ब /2025–26 /   जगदलपुर, दिनांक :– 25/07/2025

–:विज्ञप्तिः–

कलेक्टर जिला–बस्तर के द्वारा समय सीमा की बैठक में दिये गये निर्देश के परिपालन में कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें जगदलपुर जिला–बस्तर के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारीयों के रिक्त पदों पर एक मुस्त 18000/– मासिक मानदेय पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र मूल प्रमाण पत्रो की सत्यापित की छायाप्रति सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय मे आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2025 तक तिथि व समय के पश्चात् आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगें। प्रातः10:00 से सांय 5:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आंमत्रित किया जा रहा है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगें । रिक्त पदो का विवरण निम्नानुसार है।

	पदनाम	मासिक मानदेय	रिक्त पद संख्या	वर्गवार रिक्त पद															
				अनारक्षित				अजजा				अजा				अपिव			
				मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.सै
01	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (तृतीय श्रेणी)	18000	15	3	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

<u>आवश्यक शैक्षणिक योग्यता,</u>

1. पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (AVFO) पद हेतु – मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 बायोलॉजी विषय में उत्तीर्ण एवं वेटनरी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा (पशुपालन में पत्रोपाधी का प्रमाण–पत्र) संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

शर्ते एवं चयन प्रक्रिया :– उक्त पदों पर 1 वर्ष के लिये मासिक मानदेय पर भर्ती किया जायेगा।

(1) कृत्रिम गर्भाधान कार्य में दक्षता एवं बस्तर जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।

(2) सेवा अवधि के दौरान मानदेय में किसी प्रकार की कटौती (जी.पी.एफ/सी.पी.एफ) नहीं की जावेंगी।

(3) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर आवेदकों का चयन किया जावेगा। शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक एवं अनुभव के आधार पर कुल अंक 100 होंगें अधिकतम 10 अंक अनुभव पर 90 अंको की गणना निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांक के आधार पर की जावेगी। अनुभव की गणना प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 2 अंक होंगें। जो अधिकतम 10 अंको तक देय होगा। अनुभव का लाभ शासकीय कार्य में नियुक्ति आदेश में लागु होगा। चयन उपरान्त अभ्यार्थी को उनके पदस्थापना स्थान में ही निवासरत होकर सेवा प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) उक्त नियुक्तियां कलेक्टर जिला बस्तर द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जावेगा, शासकीय नियंत्रण जिला स्तर पर संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला बस्तर होगें।

(5) प्रतीक्षा सूची वैद्यता 01 वर्ष की होगी इस समयावधि में स्वीकृत नये पद अथवा त्याग पत्र या किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

(6) मासिक मानदेय पर नियुक्त व्यक्ति छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।

(7) आवेदन पत्र के साथ रू. 5/– का टिकट सहित दो लिफाफा एवं समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावे तथा पृष्ठ क्रमांक भी अंकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित रखें जैसे – 1. आवेदन पत्र 2. शैक्षणिक योग्यता 3. निवास प्रमाण पत्र 4. जाति प्रमाण पत्र 5.अनुभव हेतु नियुक्ति आदेश 6. अन्य प्रमाण पत्र 7. (02 लिफाफा) दोनों लिफाफे पर पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट अंकित करें।

उपरोक्त समस्त दस्तावेज रजिस्ट्री ए0डी0 द्वारा भेजना अनिवार्य है।

Scanned with CamScanner

(8) आवेदन पत्र के ऊपर आवेदित पद का पदनाम/जाति वर्ग एवं स्वयं का पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे।

(9) .आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(10) अभ्यार्थी को आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो राजपत्रित अधिकारी/स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाना होगा एवं आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

(11) प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में घटाया बढ़ाया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है।

(12) शासकीय/अर्धशासकीय संस्था एवं निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उन संस्थाओं के नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा,अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा।

(13) .दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होगी एवं शासन द्वारा समय समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रावधान होगा।

(14) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटी पूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि विज्ञापन में दिये गये दिशा निर्देर्शों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण भरें। यदि आवेदन में जानकारी अपूर्ण या त्रुटी पूर्ण दी जाती है तो अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(15) .भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का सर्व अधिकार अध्यक्ष, चयन समिति जगदलपुर, जिला बस्तर का होगा।

(16) उक्त अभ्यर्थी को त्याग–पत्र देने के पूर्व 01 माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा 01 माह का मानदेय जमा करना अनिवार्य होगा।

(17) एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर सेवाए स्वयमवे समाप्त मानी जावेगी।

(18) नियुक्ति अवधि में किसी भी प्रकार का धरना/हडताल इत्यदि मे जाने की अनुमति नही होगी, धरना/हडताल करने पर नौकरी से बंचित करने का अधिकार कलेक्टर बस्तर को होगा।

(19) उपरोक्त विज्ञापन के विरूद्व शासन /संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नियमित भर्ती या अन्य माध्यम से नियमित पदस्थापना की जाती है। मासिक मानदेय भर्ती स्वतः निरस्त माना जायेंगें। अथवा दुसरे स्थान पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया जावेगा।

(20) अनुभव प्रमाण पत्र (यह केवल शासकीय संस्थान,सार्वजनिक संस्थानों एवं शासन वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों या उपकमों का ही मान्य होगा।) अनुभव के लियें अधिकतम 10 अंक प्रत्येक वर्ष 02 अंक,जो अधिकतम 05 वर्षो के लिए ही होगा। नियुक्ति आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(21) पत्राचार हेतू पता–कार्यालय संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें ,चांदनी चौक जगदलपुर जिला–बस्तर छ0ग0 ,पिन–494001, ई0मेल–jdvsjagd.cg@nic.in पर ।

(22) भर्ती से संबंधित समस्त जानकारीया **https://bastar.gov.in** में देखा जा सकता है।

संयुक्त संचालक,
पशु चिकित्सा सेवाये,
जगदलपुर,जिला–बस्तर (छ.ग)

Scanned with CamScanner